कार्यालय संयुक्त निदेशक अभियोजन जनपद मुजफ्फरनगर।

पत्रांकः–मु0नगर / स्थानांतरण / 2023 / दिनांक 01-06-2023

सेवा में,

महानिदेशक अभियोजन, उ0प्र0
लक्ष्मी काम्पलैक्स, शालीमार टावर,
विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि श्रीमती मीरा सिंह, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को इंगित करते हुये अपना स्थानांतरण विषयक प्रार्थना पत्र, कार्यालय में प्रस्तुत किया है जो मय संलग्नकों के आपकी सेवा में अग्रसारित है।

01/06/23

संयुक्त निदेशक अभियोजन
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

श्रीमान महानिदेशक / अभियोजन
शालीमार टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

द्वारा– संयुक्त निदेशक / अभियोजन
जनपद मुजफ्फरनगर।

विषय – प्रार्थिनी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि प्रार्थिनी वर्तमान में जनपद मुजफ्फरनगर में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के पद पर तैनात है तथा प्रार्थिनी के पति श्री भूपेन्द्र प्रताप वर्तमान में जनपद सहारनपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। प्रार्थिनी की पुत्री वर्तमान में इंटरमीडिएट में तथा पुत्र कक्षा–3 में जनपद सहारनपुर में ही पढ़ रहे हैं, जिस आधार पर प्रार्थिनी के द्वारा अपना स्थानान्तरण जनपद सहारनपुर किए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दि0 23.03.2023 को प्रस्तुत किया गया था। किन्तु प्रार्थिनी का स्थानान्तरण जनपद सहारनपुर के स्थान पर खाद्य प्रकोष्ठ, जनपद लखनऊ में कर दिया गया है, जो जनपद सहारनपुर से लगभग 600 किमी0 की दूरी पर है। इतनी दूर रहकर प्रार्थिनी अपने बच्चों की किसी प्रकार की कोई देखभाल नहीं कर सकेगी, जिसका प्रतिकूल असर प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के बच्चों पर होगा। प्रार्थिनी के पति का स्थानान्तरण माह अप्रैल 2024 में होना है, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मिड–टर्म स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जाता है जिस कारण प्रार्थिनी के पति का स्थानान्तरण माह अप्रैल 2024 से पूर्व नहीं हो सकता है। अतः प्रार्थिनी का स्थानान्तरण आदेश माह अप्रैल 2024 तक के लिए रोककर प्रार्थिनी को माह अप्रैल 2024 तक के लिए जनपद मुजफ्फरनगर में ही रोक दिया जावे, तथा यदि ऐसा सम्भव ना हो तो, प्रार्थिनी का स्थानान्तरण किसी आसपास के जनपद में कर दिया जावे ताकि प्रार्थिनी अपने शासकीय कर्तव्यों के साथ–साथ अपने पारिवारिक कर्तव्यों का भी सम्यक रीति से निर्वहन कर सके।

अतः माननीय महोदय से यह करबद्ध निवेदन है कि प्रार्थिनी का स्थानान्तरण आदेश माह अप्रैल 2024 तक के लिए रोककर प्रार्थिनी को माह अप्रैल 2024 तक के लिए जनपद मुजफ्फरनगर में ही रोकने, तथा यदि ऐसा सम्भव ना हो तो, प्रार्थिनी का स्थानान्तरण किसी आसपास के जनपद में करने की महती कृपा करें, प्रार्थिनी आजीवन आभारी रहेगी।

सम्मान सहित ।

दिनांक–01.06.2023

भवदीया

(मीरा सिंह)

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी

जनपद मुजफ्फरनगर।